2022/224

PV

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
88-188 दावा	38/2022	16/6/2022	15/1/25	17/8/24 2/9/24 17/9/24 9/10/24 15/10/24 12/11/24 26/11/24 17/12/24 ~~24/12/25~~ 24/12/24 8/1/25 15/1/25

अनवान

श्री रामचन्द्र s/o किसना भील | श्री ऊंकार s/o दीतर भील

निवासी लाम्बाखोह तह. बून्दी | निवासी तिलस्वा त. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट | अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार | मदयून

श्री मुकेश धाकड़ | श्री सुमित जोशी

(1, 3.1, 3.2, व

2, 4, 5, 7, 8, 9 – EX

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

रामचन्द्र बनाम केलार

नम्बर मुकदमा 1104 नम्बर 3 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2022	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 5 / 8 / 2022 को वास्ते तलबी / जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
8/22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 30.11.22 को पेश हो।	U.T.
11/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 11.1.23 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
11/1/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 15.2.23 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
15/2/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 15/3/23 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/1/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 15/01/25 को पेश हो उप खण्ड अधि... बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा
/01/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए गए। विस्तृत पृथक निर्णय लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 38/2022 दायर तारीख– 16.06.2022

अनवान

श्री रामचन्द्र पुत्र किसना जाति भील उम्र 55 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी लाम्बाखोह तहसील बून्दी जिला बून्दी ....वादी

बनाम

1. ऊंकार पुत्र छीतर जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. पूरण पुत्र छीतर जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. फोरू पुत्र छीतर जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **मृतक**

3.1 कमली पत्नि स्व. फोरू जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

3.2 गोपाल पुत्र स्व. फोरू जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

3.3 नैना पुत्री स्व. फोरू जाति भील निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा **नाबालिक जरिये संरक्षक माता कमली पत्नि फोरू।**

3.4 प्रकाश पुत्र स्व. फोरू जाति भील निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा **नाबालिक जरिये संरक्षक माता कमली पत्नि फोरू।**

4. सत्यनारायण पुत्र छीतर जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. ज्यानी पत्नी छीतर जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. भूरी पुत्री छीतर जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. हरकू पुत्री छीतर जाति भील उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. मांगी पत्नी रामचन्द्र जाति भील उम्र वयस्क निवासी लाम्बाखोह तहसील बून्दी जिला बून्दी (राज0)
9. कमला पत्नी नरपत जाति भील उम्र वयस्क निवासी लाम्बाखोह तहसील बून्दी जिला बून्दी (राज0)
10. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा मार्फत तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश धाकड़ – अधिवक्ता वादीगण
1.श्री सुमित जोशी – अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1, 3.1, 3.2, व 6
2 एक पक्षीय कार्यवाही– शेष प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक: 15/01/2025

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी संख्या 09 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा (0.3157 हैक्टेयर) आराजी संख्या 10 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा (0.2995 हैक्टेयर) आराजी संख्या 11 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा (0.2185 हैक्टेयर) आराजी संख्या 14 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा (0.2833 हैक्टेयर) आराजी संख्या 15 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा (0.4532 हैक्टेयर) आराजी संख्या

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कबा 02 बीघा 04 बिस्वा (0.3561 हैक्टेयर) कुल किता 06 कुल रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा (1.9263 यर) कृषि भूमि के रूप में स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार छीतर पुत्र कजोड़ भील निवासी वां की 1/2 हिस्से दर्ज रिकॉर्ड थी।

खातेदार छीतर पिता कजोड़ भील को अपने हिस्से की आराजीयात विक्रय, हस्तान्तरण करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। इसके तहत खातेदार ने दिनांक 14/09/2011 को निजी, घरेलु जरूरत में रूपयों की आवश्यकता होने के कारण अपने 1/2 हिस्से की भूमि में से आधा या यानि कुलिया भूमि का 1/4 हिस्सा अपने समस्त हक हकूकों सहित वादी को विक्रय बिल एवज 000/- रूपये अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये में विक्रय कर विक्रय पत्र का निष्पादन कर उसका पन वादी के पक्ष में करा दिया तथा कब्जा भी वादी को सिपुर्द कर दिया तब से वादी उक्त आराजी पर ज हो उपयोग उपभोग कर रहा है।

भूमिधारी प्रतिवादी संख्या 10 जो उक्त उपपंजीयक, बिजौलियां भी द्वारा उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन किया गया था ओर नियमानुसार विक्रय पत्र की एक प्रति पटवारी को राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने हेतु प्रेषित की गई थी के अन्तर्गत उक्त विक्रय की गई वादग्रस्त आराजी वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी थी। प्रकिया स्वतः होने वाली नियमानुसार प्रकिया है जिसके तहत वादी इस विश्वास में रहा कि वादग्रस्थ जी वादी के नाम दर्ज हो चुकी है।

खातेदार छीतर पिता कजोड़ भील के देहवासन हो जाने के उपरान्त ारी हल्का द्वारा दिनांक 09/6/2015 को नामान्तरण संख्या 1328 प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के जरिये विरासत दर्ज कर दी गई जिसकी कोई जानकारी वादी को नहीं थी। दिनांक 13/04/2022 को उक्त आराजीयात पर ऋण प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तब सर्वप्रथम वादी को यह कारी हुई की वादग्रस्थ आराजी वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 01 ायत 07 के नाम दर्ज है। वादी के पक्ष में किये गये विक्रय दिनांक 14/09/2011 को अमल राजस्व ॉर्ड में नहीं किया गया है। जबकि वादग्रस्थ आराजी के कानूनी खातेदार एवं कब्जेदारी जरिये विक्रय वादी आ रहा है।

वादी ने अनुतोष चाहा की घोषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्ध वादीगण सादिर फरमाई जावें कि वाद पत्र में वर्णित उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 नाम दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि में वादी खातेदार काश्तकार होकर कब्जेधारी है जिससे राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 01 लगायत 07 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादी का नाम बतौर खातेदार स्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाने के आदेश पारित किए जावें ।

वादपत्र दिनांक 16.06.2022 दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर वादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गयी। विपक्षी 03 के अतिरिक्त समस्त क्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया । विपक्षी 03 की अदम तामील प्राप्त जिसमें जानकारी प्राप्त हुई की विपक्षी 03 फोरू की मृत्यु हो चुकी है। वादी अधिवक्ता ने 22 नियम 04 प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार कर पत्रावली पर लिया गया जो संलग्न पत्रावली है। विपक्षी 03 के यम मुकाम पेश हुए एवं संशोधित शीर्षक पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी 03 के रेसान को तामील मजी ... रिसान को रजि डाक से तामिल करवाई गई जिनकी डिलीवरी रिपोर्ट संलग्न ावली है।

विपक्षी संख्या 1, 3.1,3.2, व 06 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुमित जोशी अधिकार पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया एवं जवाब के लिए समय चाहा। शेष विपक्षीगणों को बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिए शेष विपक्षीगणों के विरूध एक पक्षीय र्यवाही के आदेश पारित किए गए। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के साथ प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम तिलस्वां ता संख 182 खसरा नम्बर 9,10,11,14,15,व 17 संवत 2075 से 2078 एवं प्रतिलिपी जमाबंदी संवत् 71–2074 ग्राम तिलस्वां ख.सं. 78 एवं नामान्तरण 1328 की प्रतिलिपी एवं विक्रय पत्र पेश किया जो शामिल त्रावली है। विपक्षी अधिवक्ता को जवाब के कई अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी पत्रावली में जवाब पेश

लगातार पेज संख्या 03 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

किया इसलिए विपक्षी अधिवक्ता के जवाब के अवसर को समाप्त करते हुए जवाब बंद किया गया। ा एकपक्षीय होने से तनकीयात कायम नही की जाकर वास्ते साक्ष्यवादी में प्रकरण रखा गया।

साक्ष्यवादी में वादी रामचन्द्र के बयान लेखबद्ध किए गए जो शामिल पत्रावली है। ही वादी ने मूल विकय पत्र नम्बर 2011000985 फीस रसीद एवं विकय लेख्य–पत्र सादादी 2,50,000रू क्रेया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण द्वारा अन्य कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद ई। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी। बहस एक पक्षीय सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी मुकेश धाकड़ ने बहस के दौरान वादपत्र में अंकित तथ्यों स्तार से विवेचन किया तथा निवेदन किया कि आदेश /डिकी वादी विरूध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई कि वाद पत्र में वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के नाम से दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि ी खातेदार काश्तकार होकर कब्जेदारी है जिससे राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 का राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादी का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। वादी क्ता ने बताया कि प्रतिवादीगण के पिता वादी को जमीन विकय पत्र के माध्यम से विकय कर चुके थे, किसी कारणवश नामान्तरण नहीं हो पाया था, जबकि कब्जा वादी ने संभाल लिया था।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन/मनन करने एवं वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस के पश्चात् आदेश दिए जाते हैं कि:–

::–आदेश::–

अतः प्रस्तुत वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी नियम वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर ग्राम वां पटवार हल्का तिलस्वां भू अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र कांस्या तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 182 में खसरा नम्बर 10 क्षेत्रफल 0.2995 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 11 क्षेत्रफल 0.2185 हैक्टेयर , खसरा नम्बर त्रफल 0.2833 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 15 क्षेत्रफल 0.4532 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 17 क्षेत्रफल 0.3561 र , खसरा नम्बर 09 क्षेत्रफल 0.3157 हैक्टेयर , कुल खसरे 06 क्षेत्रफल 1.9236 हैक्टेयर भूमि में वादी द्र पुत्र किसना जाति भील निवासी लाम्बाखोह तहसील बून्दी जिला बून्दी को विपक्षी संख्या 01 से 07 म हटाकर विपक्षीगण के स्थान पर उनके हिस्से 1/4 पर वादी रामचन्द्र पुत्र किसना भील को बतौर र घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जाते है। साथ ही दीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादी के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण नदाजी नहीं करें। न अन्य किसी से करायेगें। डिकी मूर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 15/01/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में ा गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर, फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

लय उप खण्ड अधिकारी
न्यायिक मोहर
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा